न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी— शकुन्तला चौधरी, आर.ए.एस
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व प्रार्थना पत्र कमांक – 97/2023 (जीसीएमएस नं0 2023/119)

1. मगनलाल पुत्र त्रिकमाजी जाति सुथार
2. कानाराम पुत्र त्रिकमाजी जाति सुथार निवासीयान सेऊडा, तहसील शिवगंज हाल निवासी जावाल तहसील व जिला सिरोही

– प्रार्थीगण

बनाम

1. वीराराम गोदीपुत्र कपुरजी, जाति सुथार निवासी सेऊडा, तहसील शिवगंज जिला सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार शिवगंज, जिला सिरोही

– अप्रार्थीगण

उपस्थिति:—

1. श्री नरपतसिंह देवडा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सुरेन्द्रसिंह देवडा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

—:निर्णय:—

दिनांक 31.07.2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया हैं कि मौजा सेऊडा पटवार हल्का ओडा तहसील शिवगंज में स्थित कृषि भूमि के खसरा नंबर 83 व 217 रकबा 4.6458 हैक्टेयर आई हुई है, जिसमें वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हक हिस्सा इन्द्राज हैं। प्रार्थीगण के पिता त्रिकमाजी सुथार के तीन पुत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का जन्म हुआ। प्रार्थीगण के पिता के कुटुम्बी भाई कपुरजी के पुत्र संतान नहीं होने से स्व. कपुरजी व उनकी पत्नी मंगनीबाई ने आज से करीब 53 वर्ष पूर्व अप्रार्थी सं. 1 को सामाजिक रस्म रिवाज अनुसार पूर्ण संस्कार विधि करते हुए गोद लिया था और तब से अप्रार्थी सं. 1 स्व. कपूरजी का गोदी पुत्र हैं। तत्पश्चात उस समय कानून की जानकारी नहीं होने से अप्रार्थी सं. 1 का गोदनामा वर्ष 1970 में निष्पादित नहीं किया गया था। लेकिन अप्रार्थी सं. एक वर्ष 1970 में कपूरजी के गोद चला गया था। दिनांक 29.10.1990 को कपूरजी की बेवा मगनीबाई ने अप्रार्थी सं. 1 के हक में पंजीकृत गोदनामा निष्पादित करवाया था, जो गोदनामा दिनांक 09.11.1990 को उप पंजीयन कार्यालय, शिवगंज में पंजीकृत किया गया। अप्रार्थी सं. 1 गत 53 वर्षो से गोदीपुत्र के रूप में कपूरजी के हक हिस्से में आई समस्त संपत्तियों का लाभ परिलाभ प्राप्त कर रहा हैं। प्रार्थीगण के पिता त्रिकमाजी सुथार का आज से करीब 40 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है और उनके नाम से पुश्तैनी खातेदारी प्रार्थनापत्र पद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि आई हुई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से अपना नाम राजस्व रेकर्ड से दर्ज होने का उलाहना दिया तो अप्रार्थी सं. 1 ने हमेशा प्रार्थीगण को आश्वासन दिया कि मेरा नाम गलती से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है, जो मै भविष्य में आपके नाम और हक में इन्द्राज करवा दूंगा। प्रार्थनापत्र पद सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है, परंतु पिछले 40 वर्षो से आज तक उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है बल्कि संपूर्ण कृषि भूमि पर पिछले 40 वर्षो से अधिक समय से प्रार्थीगण बतौर स्वामी अपना हक जताते व बताते अप्रार्थीगण सं. 1 व आम जन की जानकारी में निरंतर व निर्बाध रूप से काबिज व काश्त करते आ रहे हैं। विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित होने से पिछले 15—20 दिनों से प्रार्थीगण को जबरन विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल करने तथा कृषि भूमि को विक्रय करने की धमकिया दे रहे हैं जबकि अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण को उसके कब्जे मालिकी की विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने व कृषि भूमियों को विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं और न ही मौके पर अप्रार्थी सं. 1 का कोई कब्जा काश्त हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:57:17 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि उन्होने उक्त भूमि को अपने स्वयं के खर्चे से उपजाउ व उपयोगी बनाकर गत 40 वर्ष से अधिक समय से खेती करते हुए आ रहे हैं। प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी यदि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि को अन्य को विक्रय या हस्तान्तरित कर दी जाती है, तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान कारित होगा। जिसका मूल्यांकन रूपयों में आंका जाना संभव नहीं हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 को किसी अन्य व्यक्ति को उक्त आराजी का बेचान व हस्तान्तरण नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 व उसके एजेन्टों को वाद विचारण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करना फरमावे।

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व अप्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो तामीली के प्राप्त हुए अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह देवडा ने दिनाक 29.05.2024 को जवाब पेश किया व दिनांक 10.07.2024 को अप्रार्थी सं. 2 को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात भी जवाब नहीं देने से उनका जवाब बंद किया गया तथा इसी दिन उभय वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को दोहराया कि दिनांक 29.10.1990 को कपूरजी की बेवा मगनीबाई ने अप्रार्थी सं. 1 के हक में पंजीकृत गोदनामा निष्पादित करवाया था, जो गोदनामा दिनांक 09.11.1990 को उप पंजीयन कार्यालय, शिवगंज में पंजीकृत किया गया। अप्रार्थी सं. 1 गत 53 वर्षो से गोदीपुत्र के रूप में कपूरजी के हक हिस्से में आई समस्त संपत्तियों का लाभ परिलाभ प्राप्त कर रहा हैं। विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं. 1 के नाम अंकित होने से पिछले काफी समय से प्रार्थीगण को जबरन विधि विरूद्व तरीके से बेदखल करने तथा कृषि भूमि को विक्रय करने की धमकिया दे रहे हैं। जबकि अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण को उसके कब्जे मालिकी की विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने व कृषि भूमियों को विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं और न ही मौके पर अप्रार्थी सं. 1 का कोई कब्जा काश्त हैं। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि उन्होने उक्त भूमि को अपने स्वयं के खर्चे से उपजाउ व उपयोगी बनाकर गत 40 वर्ष से अधिक समय से खेती करते हुए आ रहे हैं। प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी यदि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त कृषि भूमि को अन्य को विक्रय या हस्तान्तरित कर दी जाती है, तो प्रार्थीगण को भारी नुकसान कारित होगा। जिसका मूल्यांकन रूपयों में आंका जाना संभव नहीं हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 को किसी अन्य व्यक्ति को उक्त आराजी का बेचान व हस्तान्तरण नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 व उसके एजेन्टों को वाद विचारण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करना फरमावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1.माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक रेगूलर सेकेंड अपील नं0 7198 ऑफ 2010
2.हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा 12 पेज 53

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के बहस को अनुचित बताते हुए कथन किये कि प्रार्थी सं0 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं0 1 के बाल्यकाल में होने से अपने परिवार के सामाजिक एवं धार्मिक रस्मों रिवाज अपनी बहनों की शादी करना तथा पारिवारिक रस्मों रिवाज का भार भी अप्रार्थी सं0 1 ने अपने उपर लेते हुए कर्तव्य निर्वहन किया जिससे त्रिकमाजी के पुश्तैनी जमीन में राजस्व रेकर्ड अनुसार आने वाले हक हिस्से का हकदार बनता है तथा अप्रार्थी सं0 1 के पिता का जबसे देहावसन हुआ तब से अप्रार्थी एवं प्रार्थीगण खेती करता आ रहा है। अप्रार्थी निरन्तर रूप से अपने हक हिस्से में खेती करते आ रहा है। उसने अपने भाईयों की जमीन पर कभी दखलअंदाजी नहीं की है एवं मौके पर विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। प्रार्थीगण को अपने अपने हिस्सें में कृषि करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:57:17 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम सुनी गई। पत्रावली में संलग्न प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थनापत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1.प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य यह है कि वादपत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथ प्रार्थीगणों को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका यह अर्थ नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र में संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थी सं0 1 अभिलिखित सह काश्तकार है चुंकि अप्रार्थी सं0 1 अभिलिखित काश्तकार है और उन्हें अपने हिस्से की हद तक की आराजी के उपयोग, उपभोग का अधिकार तो है लेकिन अप्रार्थीगणों को अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जायेगा या नहीं यह तो मूल वाद के निस्तारण से ही ज्ञात होगा। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 हाजा न्यायालय मे विचाराधीन है अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणों के पक्ष में आंशिक रूप से साबित होता है।

2.सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 सहकाश्तकार है और प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के विरुद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 हाजा न्यायालय मे विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला भी आंशिक रूप से प्रार्थीगणों के पक्ष में सिद्ध हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया जाता है तो न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीगणों को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

3.अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी तात्विक क्षति से है, जिसकी पूर्ति नुकसान के रूप में नहीं की जा सकती, चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगणों का खातेदारी घोषणा का दावा विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगणों के पक्ष में आंशिक रूप से साबित हुए हैं। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगणों के पक्ष में तीनों बिंदू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति आंशिक रूप से साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसम्मत समझते हैं।

—::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी सं0 1 इस आशय का जारी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी सं0 1 व उसके ऐजेन्ट कब्जे काश्त में बेचान/हस्तांतरण नहीं करे एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी व बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं अप्रार्थी सं0 1 ताफैसला मूल वाद रहन बैय न करें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:57:17 IST
Reason: SelfAttested

(शकुंतला चौधरी) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज

कमांक/कोर्ट/2024/ 434
दिनांक 31.07.2024

प्रतिलिपी पालनार्थः—
तहसीलदार शिवगंज

सहायक कलक्टर (सिरोही)
शिवगंज (सिरोही)